न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अधिशाषी अभियंता बनाम स्टेट GSS मण्डावर मु. सं. 18/2021 GCMS 2021/47	

पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अधिशाषी अभियन्ता 220 के.वी. जी.एस.एस. मण्डावर जिला दौसा द्वारा अपने पत्रांक RVPN/XEN/220KV GSS/MDR/Estt./F/00/D-105 दिनांक 27.7.2020 से इस प्रकरण तहसीलदार मण्डावर को प्रस्तुत किया कि 220 के.वी. जी.एस.एस. मंडावर जोकि ग्राम सरावली में स्थित है जिसका राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या - 196 राजस्थान विद्युत मंडल के नाम के से है। वर्ष के established on 19 July, 2000 by Govt of Rajasthan under the provisions of the Rajasthan Power Sector Reforms Act, 1999 के द्वारा राजस्थान विद्युत मंडल का विघटन पांच कम्पनियों में हो गया है जिसके तहत 132 के.वी. एवं 220 के.वी. जी.एस.एस. को राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम में परिवर्तित कर दिया गया था। इस प्रकार राजस्थान विद्युत मंडल के स्थान पर राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के नाम से परिवर्तित किया गया।" वर्तमान में इसी के अनुरूप राजस्व रिकार्ड में राजस्थान विद्युत मंडल के स्थान पर वर्तमान नाम राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया है,

तहसीलदार मण्डावर द्वारा मूल ही प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न वर्तमान जमाबन्दी में खसरा संख्या 319/660 रकबा 0.3276, 320 रकबा 5.7300, 387/662 रकबा 0.4550, 388/661 रकबा 0.4810 कुल किता 4 रकबा 6.9936 की खातेदारी - राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि ग्राम सरावली तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। पत्रावली में संलग्न राजस्थान राजपत्र दिनांक 18 जनवरी 2002 की छाया प्रति का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार ENERGY DEPARTMENT NOTIFICATION, Jaipur January 18, 2002 में

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज .... बनाम .... मु. सं.	
	हो जाने से इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में ग्राम सरावली तहसील मण्डावर स्थित 220 के.वी. जी.एस.एस. खसरा नम्बर 319/660, 320, 387/662, 388/661 की खातेदारी में नाम दुरूस्त करवाने हेतु अधिशाषी अभियन्ता 220 के.वी. जी.एस.एस. मण्डावर द्वारा आवेदन किया है। राजस्थान राज-पत्र दि 10.1.2002 के अनुसार राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के स्थान पर "राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम" नाम परिवर्तन कर दिया गया है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम परिवर्तन किया जाना उचित है। अतः अधिशाषी अभियंता, 220 के.वी. जी.एस.एस. मण्डावर के आवेदन पर ग्राम सरावली तहसील मण्डावर स्थित ख.नं. 319/660, 320, 387/662, 388/661 की वर्तमान जमाबंदी ~~खेवट~~ में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के स्थान पर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम पूर्ण हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि की जावे। तहसीलदार मण्डावर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय दि 10.02.2021 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी महवा (जिला दौसा)	